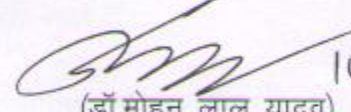


CA. ऑडिट सिमित बोली

उद्यान विभाग द्वारा संचालित/क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH –मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर) एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना (PMKSY– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) की राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम एजेन्सीज क्रमशः राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी एवं जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटीज द्वारा वर्ष 2017-18 में इन योजनाओं के तहत क्रियान्वित किये गये विभिन्न कार्यक्रमों पर हुये व्यय की ऑडिट करवाये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जिनको राजकीय कार्यालयों, संस्थाओं/योजनाओं की ऑडिट का विशेष अनुभव हो निम्न विवरण अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. उक्त कार्य की अनुमानित राशि रुपये 1.00 लाख है।
2. योजनाओं पर वर्ष 2017-18 में राशि 10944.44 लाख रुपये केन्द्रीयांश का व्यय हुआ है।
3. संपूर्ण निविदा दस्तावेज वेबसाईट SPP Portal पर डाउनलोड किये जाने हेतु प्रकाशित कर दिया गया है।
4. निविदाता अपने योग्यता (कार्य अनुभव) व वित्तीय प्रस्ताव, पंजीकरण, पेन नंबर आदि सहित मिशन निदेशक, उद्यान निदेशालय जयपुर को सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिशः डाक द्वारा दिनांक 18.01.2019 को दोपहर 01.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन 3.00 पी. एम पर खोले जावेगे।
5. वित्तीय प्रस्ताव के न्यूनतम दर वाले योग्य ऑडिटर्स को कार्यादेश जारी किये जाने के अधिकतम 30 दिवस में सभी योजनाओं की जिला व राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेन्सी की पृथक-पृथक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यकता होने पर उक्त कार्य नियमानुसार आगामी वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
6. ऑडिट रिपोर्ट में निम्न कार्य संपादित करने होंगे—
 - (1) निर्धारित प्रपत्र में कम्पोनेट वाईज व्यय
 - (2) ऑडिटेड तक व्यय यूटीलाईजेशन प्रमाण पत्र
 - (3) विभिन्न योजनाओं के बजट की प्राप्ति
 - (4) अलग-अलग योजनाओं में ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेन्स
 - (5) क्रियान्वयन एजेन्सीज के बैंक खातों में जमाओं पर प्राप्त ब्याज
 - (6) अन्य किसी योजनाओं के बजट हस्तान्तरण, यदि कोई दिया गया
 - (7) ट्रायल बैलेन्स
 - (8) प्रत्येक क्रियान्वयन एजेन्सी का बैलेन्स शीट
 - (9) राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की Over all बैलेन्स शीट
 - (10) राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी का Over all उपयोगिता प्रमाण पत्र
7. ऑडिटर अपनी विशेषज्ञ ऑडिटर्स योजनावार निम्न जिलों में व्यक्तिशः भेजे जाकर ऑडिट कार्य संपादित करवाना होगा –
 - (1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन-जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरौही, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, झुन्झुनू, अलवर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, बून्दी, कोटा, बारां, झालावाड़, (24 जिलें) व मुख्यालय

- (1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन-जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोंही, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, झुन्झुनू, अलवर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, बून्दी, कोटा, बारां, झालावाड़, (24 जिले) व मुख्यालय
- (2) सूक्ष्म सिंचाई योजना सभी 33 जिले व मुख्यालय
8. ऑडिटर्स को मिशन निदेशक द्वारा अवगत करायी गयी प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं का ऑडिट कार्य संपादित करना होगा।
9. ऑडिटर को संपूर्ण लेखों का मिलान सुनिश्चित करना होगा।
10. संतोषप्रद ऑडिट कार्य पूर्ण करने पर निर्धारित दरों पर भुगतान कार्यवाही की जायेगी।
11. कार्य परिणाम एवं गत वर्षों के अंकेक्षण संबंधित विवरण कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
12. निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक कार्य पूर्ण नहीं करने पर GF&AR , RTPPA 2012 व RTPPR 2013 में वर्णित प्रावधानानुसार राशि की कटौती की जावेगी।
13. प्रस्तुत दरें समस्त करों (Taxes) सहित होगी।


(डॉ.मोहन लाल यादव)

निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प21(17)नि.उ./रा.बा.मि./सीए ऑडिट/2018-19/8256-63
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है।

दिनांक
10-01-19

1. ✓ उप निदेशक उद्यान (सांख्यिकी) उद्यान निदेशालय, जयपुर को SPP Portal पर प्रकाशन हेतु।
2. संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस/विस्तार)
3. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
4. कार्यालय प्रति।



निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर